


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]
No. 98]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2016/चैत्र 12, 1938
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2016/ CHAITRA 12, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(अनुसूचित जाति विकास प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

सं. 17015/18/2015-आरआईसी.—भारत सरकार के दिनांक 06.03.2013 के संकल्प के क्रम में, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) का कार्यकाल एतद्वारा अगले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 01.04.2016 से 31.03.2019 तक बढ़ाया जाता है।

2. आयोग के विचारार्थ विषय वही रहेंगे जो दिनांक 02.03.2009 के संकल्प सं. 17015/17/2008-आरआईसी में यथाअधिसूचित हैं। यह आयोग हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 31(1) में यथा उल्लिखित प्रकार्यों का निष्पादन करता रहेगा। इसके संघटन, शक्ति, प्रक्रियागत मामलों तथा वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान, दिनांक 09.09.2004 के संकल्प सं.17015/18/2003-एससीडी-VI के पैरा 3 तथा 5-7 द्वारा शासित होते रहेंगे।

डी. एल. मीना, संयुक्त सचिव.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, 31st March, 2016

No. 17015/18/2015-RIC.—In continuation of the Government of India Resolution dated 06.03.2013, the term of the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) is hereby extended for a further period of three years, i.e. from 01.04.2016 to 31.03.2019.

2. The terms of reference of the Commission will continue to be the same as notified in the Resolution No. 17015/17/2008-RIC dated 02.03.2009. The Commission will continue to perform the functions as mentioned in Section 31(1) of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013. The provisions regarding its composition, power, procedural matters and Annual Report will continue to be governed by paras 3 and 5-7 of the Resolution No. 17015/18/2003-SCD-VI dated 09.09.2004.

B. L. MEENA, Jt. Secy.